

14/18

RTA - 53

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रमजण व/उ अमबरी लाल</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए</p>
<p>05/04/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक... 05/02/24 को पेश हो।</p>	
<p>07/11/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक... 23/8/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Ahad</i></p>	
<p>23/8/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक... 08/11/24 को पेश हो।</p>	
<p>08/11/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक... 10/12/24 को पेश हो।</p>	
<p>10/12/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई! आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक... 10/12/24 को पेश हो।</p>	
<p>18/12/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वापी आर्कीवकलन उप- वापी आर्कीवकलन द्वारा शपथ रिपोर्ट की अद्यतन जमावदी उपरुक्त करते हुए निर्दिष्ट कि कि वर्तमान शपथ रिपोर्ट के अंतर्गत</p>	

— लगाकर —

S. P. S.
18/12/24

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

संख्या १)१ अमरजीलाल


14/18

18/12/20

कि वादी एवं जमींदारी सै. 1 के नाम वादग्रह भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जमींदारी सै. 2 का नाम राजपूतगिरि में दर्ज नहीं है तथा वादग्रह भूमि दो पृथक्-पृथक् खेतों में दर्ज होकर वादी व जमींदारी सै. 1 के नाम पृथक्-पृथक् दर्ज रिकॉर्ड हो चुकी है। अतः वादग्रह भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा गारा जमा अनुलोप प्राप्त हो चुका है। अतः वादी द्वारा उद्घृत किए गए गारा वाद की शर्तों से वाद चलाने योग्य नहीं है।

वादी द्वारा उद्घृत राजपूत रिकॉर्ड एवं वादग्रह का अवलोकन किला गारा वादग्रह के अनुसार वादग्रह भूमि ग्राम पूर की आरक्षीय 4093, 4096, 4097, 4217 एवं 4218 कुल भिगा 5 कुल रकबा 14.59 बीघा भूमि वर्तमान राजपूत रिकॉर्ड के अनुसार जारा सै. 2811 व 3315 में दर्ज रिकॉर्ड है। जमावंदी के अनुसार जारा सै. 2811 जमींदारी सै. 1 व रकबा सै. 3315 वादी के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादी द्वारा उद्घृत वादग्रह अनर्गल धारा 53 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम में चारा गारा अनुलोप वादी एवं जमींदारीगारा के मध्य निष्पादित होकर वादग्रह रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अतः वादी द्वारा उद्घृत वाद अनर्गल धारा 53 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम में चारा गारा अनुलोप पूर्व में ही मिल जाने से वादग्रह खारिज किया जाता है। निष्पत्ति से रजिस्ट्रार सुनाया गया कि वादी वादी है।

आवसी नौमल शुमार होकर ग्राहिल रजिस्ट्रार हो तथा नठर से कम हो।


18/12/20

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. संजय पिता स्व0 नथमल जी चौरडिया उम्र 46 वर्ष निवासी पुर हाल निवासी कांचीपुरम भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भगवती लाल पिता स्व0 नथमल जी चौरडिया उम्र 65 वर्ष निवासी पुर हाल निवासी 20 साउथ एवेन्यू चौबे कॉलोनी रायपुर, तह0 एवं जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. तेज प्रकाश पिता स्व0 नथमल जी चौरडिया उम्र 56 वर्ष निवासी पुर हाल निवासी मार्फत मौनाटेक सिस्टम्स लिमिटेड 66 तिरूमाला पिल्लई रोड, टी नगर चैन्नई-600017
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद बाबत बटवाड़ा आराजियात एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 14/2018 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री श्यामलाल आगाल उपस्थित - इस वाद में आज तारीख 18.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाहा गया अनुतोष वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निष्पादित होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाहा गया अनुतोष पूर्व में ही मिल जाने से वादपत्र खारिज किया जाता है।


18/12/24
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा